"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 129] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 2 जून 2009—ज्येष्ठ 12, शक 1931

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 मई 2009

आदेश

क्रमांक/एफ 1-01/18/2009.—छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के आदेश क्रमांक एफ-47/रानिअ/नमा/व्यय-लेखा/निरर्हता/05/495 दिनांक 01-05-09 द्वारा पारित आदेशानुसार डॉ. ओमप्रकाश देवांगन, नगर पालिका परिषद्, बीरगांव को छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 32 (ग) के अंतर्गत आदेश की तिथि से पांच वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए नगर पालिका अध्यक्ष चुने जाने तथा सदस्य होने के लिए निरर्हित घोषित किया गया है.

2. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-05-09 के पालन में विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा पारित आदेश क्रमांक एफ 1-01/18/2009 दिनांक 07-05-2009 को आगामी आदेश पर्यन्त स्थगित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गेबनुस खलखो, अवर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.